Part-V

(To be filled the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of an under Secretary)

S.No.	4	
18	Recommendation of the State	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की
	Government:-	गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, भारत
×	(Adverse comments made by any	एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, को कोरबा जिले
	officer or authority in Part-B or	के कोरबा वन मंडल अंतर्गत ग्रम भैसमा में बाल्को
	Part-C or Part -D above should be	1200 मेगावाट पॉवर प्लांट से पी.जी.सी.आई.एल.
	specifically commented upon)	धरमजयगढ़ पूलिंग स्टेशन तक 400 किलोवाट पारेषण
		लाईन निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का 2.060 हे. एवं
		राजस्व वन भूमि का 15.185 हे. कुल 17.245 हेक्टेयर
		वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण
		अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव पर राज्य शासन
	8-	द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date:

1-12-2015

Place:

Raipur

Name

Anil Kumar Sahu

Designation -

Secretary,

C.G. Govt.,

Forest Department